

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी—

श्री अमानुल्लाह खान  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

89 / प्रा.पत्र / 2019

09.10.2019

28.10.2020

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बून्दी

—प्रार्थी

—बनाम—

श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स  
तिरूपति स्पाईसेज, एफ-38, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुर बावडी, जिला बून्दी।  
निवासी—तिरूपति स्पाईसेज, गुलाबबाडी, कोटा (राज0)।

—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से— श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।  
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिफा उल हक उपस्थित है।

—: निर्णय :—

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में  
निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैं:—

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ, मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित  
अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक  
26.07.2011 एवं क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक  
09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये  
अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/  
पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य  
क्षेत्र, जिला बून्दी आवंटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक  
एफएसएसए/नोटिफिकेशन/ 2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी  
जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.02.2019 को समय 11:30 पी.एम. पर  
नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु गोविन्दपुर बावडी स्थित फर्म तिरूपति स्पाईसेज पर  
पहुँचा। वहाँ पर श्री सत्यनारायण अग्रवाल आ0 लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, विक्रेता एवं  
फर्म के मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य  
लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसके उल्लेख मौका फर्द में हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी

बून्दी (राज०)

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम, के 400 नग उपलब्ध थे। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, पौली पैकिंग सहित ही हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम, के 4 पैकिंग नग (4x500gm) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 200/- नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी, पौली पैकिंग प्रत्येक 500 ग्राम के 4 पौली पैकिंग नगों को पौली पैकिंग सहित ही चार-चार बराबर भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू-1319 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू-1319 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.-6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/124 दिनांक 26.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 91/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/100 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।
7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट

एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी

बून्दी (राज०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/270 दिनांक 26.09.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।


प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से दिनांक 27.11.2019 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त प्रकरण में आरोपित जुर्म को लोक अदालत की भावना एवं अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुये। अप्रार्थी श्रीमान से क्षमाप्रार्थी है। भविष्य में अप्रार्थी न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन करेगा। उक्त खाद्य पदार्थ हानिकारक नुकसानदेह नहीं हैं। जिससे किसी भी आम जन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। उक्त प्रकरण मिसब्राण्डिंग का है। अप्रार्थी अपने उपर आरोपित जुर्म को लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्व विचार कर निस्तारण करने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाप्त की गई।

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी, पौली पैकिंग का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी छोटा व्यापारी है। अप्रार्थी द्वारा कय किया जाने वाला खाद्य पदार्थ हानिकारक व नुकसानदेह नहीं हैं। जिससे किसी भी आम जन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। उक्त प्रकरण मिसब्राण्डिंग का है। अप्रार्थी अपने उपर आरोपित जुर्म को लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्व विचार कर निस्तारण करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी, खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पावडर, ब्राण्ड-बालाजी का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्ध होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 25,000/- (अक्षरे-पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
बून्दी (राज०)

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णयन अधिकारी

बून्दी (राज०)